Document
Press Note

24.10.2020

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

प्रैस नोट

पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव, 2020

कार्यक्रम की घोषणा

अनुच्छेद 243K (Article 243K) एवं पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17(2) में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी का एवं निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है।

इन संस्थाओं के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व चुनाव कराना सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध समय को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा राज्य सरकार की परिसीमन हेतु दिनांक 15/16.11.2019 को जारी की गई अधिसुचनाओं के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम दिनांक 04.11.2019 को जारी किया गया जिसके अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक **03.01.2020** को होना नियत किया गया, किन्तु राज्य सरकार की 15/16.11.2019 को जारी की गई अधिसूचनाओं के पश्चात् की अधिसूचनाओं से प्रभावित पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियां तत्समय तैयार नहीं हो पाई। राज्य सरकार द्वारा फिर से किए गए परिसीमन हेतु जारी की गई अधिसूचनाओं से प्रभावित संस्थाओं की मतदाता सूची तैयार करने हेतु दिनांक 08.12.2019 को कार्यक्रम जारी किया गया। इस कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 06.01.2020 को किया जाना नियत किया गया।

राज्य सरकार के परिसीमन की उक्त अधिसूचनाओं के विरूद्व प्रस्तुत याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचनाएं दिनांक 15/16.11.2019 एवं उसकी शुद्धि हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 23.11.2019 को छोडकर अन्य सभी अधिसूचनाओं को अपास्त कर दिया गया। उक्त निर्णय दिनांक 13.12.2019 के कारण आयोग का निर्वाचक नामावली का कार्यक्रम दिनांक 08.12.2019 प्रत्याहरित किया गया और पुनः परिवर्तित कार्यक्रम दिनांक 17.12.2019 जारी किया गया। इस कार्यक्रम के अनुसार शेष रही पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन दिनांक **22.01.2020** को होना नियत किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 13.12.2019 के विरूद्व राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका में आदेश दिनांक 24.01.2020 एवं 04.02.2020 से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.12.2019 को निरस्त कर दिया जाने के कारण आयोग द्वारा आदेश दिनांक 04.11.2019 एवं दिनांक 17.12.2019 के द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची प्रभावित होने से, ऐसी प्रभावित होने वाली पंचायतीराज संस्थाओं के लिए पुनः मतदाता सूची का कार्यक्रम दिनांक 13.02.2020 को जारी किया गया, जिसके अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 23.03.2020 को होना नियत किया गया किन्तु राज्य में कोविड–19 संक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति एवं लॉकडाउन के कारण दिनांक 23.03.2020 होने वाले **अन्तिम प्रकाशन की अवधि बढाकर दिनांक 10.06.2020 को** किया जाना नियत किया गया।

इस प्रकार दिनांक 03.01.2020, 22.01.2020 एवं दिनांक 10.06.2020 को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही राज्य की समस्त पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियां तैयार कर ली गई।

पंचायतीराज संस्थाओं के शेष रहे जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराने के संबंध में गृह विभाग एवं पुलिस महानिदेशक के साथ पुलिस बल की उपलब्धता के संबंध में चर्चा में विभाग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि यदि चुनाव अधिक चरणों में कराए जाते हैं तो आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जाना सुगम हो सकेगा एवं चुनाव शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपादित हो सकेगें।

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
जयपुर

राज्य सरकार द्वारा माह जून एवं अगस्त, 2020 में अधिसूचनाएं जारी कर 18 नगरपालिकाओं का नवसृजन किया गया। उक्त 18 नगरपालिकाएं 12 जिलों (जयपुर, अलवर, दौसा, जोधपुर, सिरोही, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बारां, श्रीगंगानगर एवं सवाईमाधोपुर) में सृजित की गई। इन नगरपालिकाओं के सृजन से कुल 48 ग्राम पंचायत पूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्रभावित हुई। पंचायतीराज विभाग के अनुसार जयपुर जिले की पंचायत समिति पावटा, भरतपुर जिले की पंचायत समिति उच्चैन एवं अलवर जिले की पंचायत समिति कठूमर की कुछ ग्राम/ग्राम पंचायतों को छोडकर उक्त 18 नगरपालिकाओं में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों को पंचायतीराज संस्थाओं की सूची से पृथक भी कर दिया गया। पंचायतीराज विभाग के अनुसार उक्त 48 ग्राम पंचायतों के पूर्ण अथवा आंशिक क्षेत्र नगरपालिका में सम्मिलित होने से शेष रहे ग्रामों/क्षेत्रों के पुनर्गठन की प्रकिया के पश्चात् **संबंधित जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र एवं कतिपय स्थानों पर इनके आरक्षण में भी परिवर्तन होना संभावित है।**

माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन DB Civil Writ Petition No. 10890/2020 Prasant vs State of Rajasthan and others एवं 4 अन्य समान प्रकृति की याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा नवीन नगरपालिकाओं के गठन हेतु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिूसूचनाओं पर अंतरिम स्थगन प्रदान कर दिया जाने से नवगठित नगरपालिकाओं से प्रभावित पंचायतीराज संस्थाओं की वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए नवसृजित 18 नगरपालिकाओं से प्रभावित उक्तानुसार 12 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराना संभव नहीं है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शेष 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव चार चरणों में कराने हेतु कार्यक्रम घोषित कर दिया है। उक्त 21 जिलों का विवरण निम्नानुसार है:–

1	अजमेर	8	चूरू	15	नागौर
2	बांसवाडा	9	डूंगरपुर	16	पाली
3	बाडमेर	10	हनुमानगढ	17	प्रतापगढ
4	भीलवाडा	11	जैसलमेर	18	राजसमंद
5	बीकानेर	12	जालौर	19	सीकर
6	बूंदी	13	झालावाड	20	टोंक
7	चित्तौडगढ	14	झुंझुंनू	21	उदयपुर

आम चुनाव से संबंधित विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं:–

- **चुनाव कार्यक्रम**

चरणवार चुनाव कार्यक्रम परिशिष्ट "A" एवं चरणवार पंचायत समितियां एवं इनमें सम्मिलित ग्राम पंचायतों की संख्या का विवरण परिशिष्ट "B" पर संलग्न है। आयोग द्वारा जारी उक्त चुनाव कार्यक्रम आयोग की वेवसाइट http://sec.rajasthan.gov.in/ पर भी उपलब्ध है।

- **मतदाता सूची**

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव हेतु तैयार की गई मतदाता सूची का **अंतिम प्रकाशन दिनांक 03.01.2020, 22.01.2020 एवं दिनांक 10.06.2020 को कर दिया गया है।** अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय में निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। यह मतदाता सूची अर्हता तिथि दिनांक 01.01.2020 के संदर्भ में तैयार की हुई है।

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों के लिए तैयार की गई अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली में चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित 21 जिलों में कुल 2 करोड 41 लाख 87 हजार 9 सौ 46 मतदाता पंजीकृत हैं। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार इन मतदाताओं का वर्गीकरण इस प्रकार है:–

पुरूष	महिला	थर्ड जेण्डर	कुल
12497136	11690724	86	24187946

मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के दौरान जो मतदाता अपना नाम किन्ही कारणों से नामावली में नहीं जुडवा सके या तत्समय मतदाता सूचियों में रही त्रुटियों को दुरूस्त करने के लिए निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उन्हें **निरन्तर अद्यतन किए जाने का कार्य जारी है,** जिसके अन्तर्गत मतदाता सूची में चुनाव की अधिसूचना जारी होने से 10 दिवस पूर्व तक प्राप्त आवेदनों को निस्तारित कर अधिसूचना जारी होने से पूर्व तक नाम जोडे जा सकेंगे। उक्त प्रकिया में मतदाताओं की संख्या में कुछ परिवर्तन संभावित है।

- **वार्डो एवं मतदान केन्द्रों का विवरण**

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में पंचायतीराज संस्थाओं में किए गए परिसीमन/पुनर्गठन के कार्य के पश्चात् नवीन परिसीमन के अनुसार राज्य की 33 जिला परिषदों में कुल 1014 सदस्य एवं 352 पंचायत समितियों में कुल 7027 सदस्य हैं, जिनमें से पूर्व पृष्ठ पर अंकितानुसार 21 जिलों के 636 जिला परिषद सदस्य, 4371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव संपन्न होंगे।

कोविड–19 संक्रमण से बचाव के लिए आयोग द्वारा अब प्रत्येक मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या 900 कर दी गई है। पूर्व में एक मतदान बूथ पर सामान्यतः 1100 मतदाताओं की सीमा निर्धारित थी। प्रत्येक बूथ पर 900 मतदाताओं की संख्या के अनुसार 21 जिलों में 33611 मतदान बूथ स्थापित किए जायेगें।

- **ई.वी.एम. से मतदान**

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनावों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग किया जाएगा। आयोग द्वारा जिला स्तर पर ईवीएम की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार अन्य जिले के स्थानान्तरण की ऑन लाईन ट्रेकिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदान हेतु ईवीएम के आवंटन के लिए रेण्डमाईजेशन (Randomization) भी किया जाएगा।

- **मतदान का समय**

कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मतदान के समय में वृद्वि करते हुए **मतदान का समय प्रातः 7.30 बजे से सांय 5.00 बजे तक नियत किया गया** है, जिससे मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मतदान कार्य कर सके।

- **चुनाव कार्य हेतु कार्मिकों का नियोजन एवं प्रशिक्षण**

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन संपादित कराने हेतु मतदान, मतगणना एवं अन्य कार्य के लिए समस्त चरणों के लिए लगभग 1,80,000 कार्मिकों की आवश्यकता होगी। मतदान एवं मतगणना दलों के गठन हेतु कार्मिकों का रेण्डमाईजेशन (Randomization) सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर मतदान एवं मतगणना हेतु दलों का गठन किया जाएगा।

- **मतदाताओं की पहचान**

राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग के **पत्रांक 559 दिनांक 07.02.2019** के द्वारा अनुमोदित किए गए **12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों** में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

उक्त 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेज में से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो इन निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के हैं। अतः सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान के समय उक्त दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को साथ लायें, जिससे मतदान कार्य सुगमता से शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्षरूप से सम्पन्न हो सके।

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
जयपुर

- **मतदाता सहायता :**

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली में मतदाता से संबंधित प्रविष्टि यथा मतदाता का नाम, वार्ड नम्बर, मतदाता क्रमांक एवं मतदान बूथ आदि की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए SMS Gateway Service उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए मतदाता द्वारा मोबाईल नम्बर 7065051222 पर **SEC VOTER** अंकित कर स्पेस के पश्चात् **Epic No** अंकित कर SMS भेजने पर SMS के माध्यम से उसकी प्रविष्टि का विवरण प्राप्त हो जायेगा।

- **चुनाव प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति**

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान, मतगणना अन्य चुनाव संबंधी कार्यो के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले के लिए आवश्यकतानुसार एक या अधिक पर्यवेक्षकों को नियोजित किया जाएगा। ये पर्यवेक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ एवं चयनित तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल या इससे उच्चतर वेतन श्रृखंला के अधिकारी होंगे। चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके इस हेतु पर्यवेक्षकों द्वारा चुनाव के प्रत्येक स्तर के साथ मुख्य रूप से मतदान एवं मतगणना कार्य के पर्यवेक्षण के साथ–साथ कोविड–19 संक्रमण से बचने के लिए केन्द्र/राज्य सरकार तथा आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाईन की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी।

- **चुनाव नियन्त्रण कक्ष (Control Room) की स्थापना**

आयोग मुख्यालय एवं जिला स्तर पर चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान–प्रदान एवं आमजन द्वारा भी चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में जानकारी प्रदान करने एवं प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित किए जातें हैं। आयोग कार्यालय में नियत्रंण कक्ष की स्थापना कर दी गई है। आयोग कार्यालय में स्थापित यह नियन्त्रण कक्ष 24 X 7 (रात–दिन) लगातार कार्यशील रहेगा। नियत्रंण कक्ष में स्थापित दूरभषों का विवरण निम्नानुसार हैं:–

1.	0141–2227786
2.	0141–2385067
3.	0141–2385059

- **अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च सीमा**

चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियन्त्रण करने के लिए आयोग के आदेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं। इस आदेश के अनुसार **जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड रहे अभ्यर्थियों के लिए 1,50,000/– एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए 75,000/– रूपये की खर्च सीमा निर्धारित की हुई है।**

लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों के द्वारा निर्वाचन में प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस हेतु संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से वाहन के सम्पूर्ण विवरण के साथ लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की निगरानी हेतु संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जो अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की सतत् निगरानी रखेगा।

- **दिव्यांगजन (Person with Disabilities) एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा**

आयोग द्वारा दिव्यांगजन के लिए मतदान केन्द्र पर विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए अपने आदेश दिनांक 24.12.2019 द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए हैं। इन निर्देशों में ऐसे मतदाताओं की मैंपिग करने, प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने दिव्यांगजनों को मतदान के लिए मतदान बूथ तक लाने एवं छोडने के निदेशों सहित मतदान केन्द्र पर सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश शामिल हैं। मतदान में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजन के लिए पृथक लाईन रखने के भी निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रदान किए गए है।

- **कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाईन**

आयोग द्वारा चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों यथा ईवीएम की FLC, मतदान दलों के प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, सवीक्षा एवं नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान तथा मतगणना संबंधी चुनाव कार्य में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों एवं मतदाताओं को कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिए गाईडलाईन जारी की गई है, जो इन चुनावों में भी यथाशक्य परिवर्तनों के साथ लागू रहेंगी। निर्वाचन गतिविधियों में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों से आयोग की अपेक्षा है कि वे केन्द्र/राज्य सरकार तथा आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाईनों की भी पूर्ण रूप से पालना करे।

- **आदर्श आचरण संहिता**

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगें। आयोग द्वारा राज्य सरकार को आदर्श आचरण संहिता की प्रभावी पालना हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

संबंधित पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगें।

चुनाव के लिए बडी मात्रा में कार्मिकों/अधिकारियों की आवश्यकता होगी, अतः इन जिलों में समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (आवश्यक सेवाओं को छोडकर) के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। यदि अपरिहार्य कारणों से स्थानान्तरण आवश्यक हो तो आवश्यकता एवं औचित्य के विवरण सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा आयोग का इस संबंध में समाधान होने पर अनुमत किया जा सकेगा।

समस्त अभ्यर्थी, सभी मतदाताओं, आमजन एवं मीडिया से आयोग अपील करता है कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने एवं कोरोना महामारी के सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए स्वयं को सुरक्षित रखने एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करते हुए निर्वाचन सम्पन्न कराने में अपना सहयोग प्रदान करावें।

(अशोक कुमार जैन) 24.10.2020
उप सचिव
दिनांकः 24.10.2020

क्रमांकः एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2020/ 8840

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
4. अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
5. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।

(अशोक कुमार जैन) 24.10.2020
उप सचिव

परिशिष्ट – A

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 – चुनाव कार्यक्रम
(जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु)

क्र.स.	कार्य का विवरण (चारों चरणों के लिए)	तिथियां
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि	04.11.2020 (बुधवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	09.11.2020 (सोमवार) प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक (नोट – दिनांक 08.11.2020 (रविवार) को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जायेंगे)
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	10.11.2020 (मंगलवार) प्रातः 11.00 बजे से
4	नाम वापसी की तिथि एवं समय	11.11.2020 (बुधवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	11.11.2020 (बुधवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6	मतदान दलों का प्रस्थान/पहुँच	
	प्रथम चरण के लिए	22.11.2020 (रविवार)
	द्वितीय चरण के लिए	26.11.2020 (गुरूवार)
	तृतीय चरण के लिए	30.11.2020 (सोमवार)
	चतुर्थ चरण के लिए	04.12.2020 (शुक्रवार)
7	**मतदान की तिथि**	
	प्रथम चरण के लिए	**23.11.2020 (सोमवार)**
	द्वितीय चरण के लिए	**27.11.2020 (शुक्रवार)**
	तृतीय चरण के लिए	**01.12.2020 (मंगलवार)**
	चतुर्थ चरण के लिए	**05.12.2020 (शनिवार)**
8.	**मतदान का समय**	**प्रातः 7.30 बजे से सांय 5.00 बजे तक**

क्र.स.	कार्य का विवरण		तिथियां
9	मतगणना (जिला मुख्यालय पर)		08.12.2020 (मंगलवार) प्रातः 9.00 बजे से
10	प्रमुख / प्रधान का चुनाव		10.12.2020 (गुरूवार)
11	उप प्रमुख / उप प्रधान का चुनाव		11.12.2020 (शुक्रवार)
12.	प्रमुख / उपप्रमुख / प्रधान / उपप्रधान के चुनाव की बैठक की समय सारणी		
	1	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
	2	नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतीकरण	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
	3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे से
	4	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 1.00 बजे तक
	5	चुनाव प्रतीको का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना	अपराह्न 1.00 बजे के तुरन्त बाद
	6	मतदान यदि आवश्यक हुआ तो, उसका समय	अपराह्न 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य
	7	मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा	सायं 5.00 बजे से या मतदान समाप्ति के तुरंत बाद, जो भी पहले हो

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट – B

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

SPELL-WISE ZP & PS MEMBER ELECTION PROGRAMME, 2020

S. No.	District	No. of Const. in Z.P.	Ist Spell Panchayat Samiti	Ist Spell No. of Cont. in P.S.	Ist Spell No. of G.P.	Ist Spell No. of polling booths	IInd Spell Panchayat Samiti	IInd Spell No. of Cont. in P.S.	IInd Spell No. of G.P.	IInd Spell No. of polling booths	IIIrd Spell Panchayat Samiti	IIIrd Spell No. of Cont. in P.S.	IIIrd Spell No. of G.P.	IIIrd Spell No. of polling booths	IVth Spell Panchayat Samiti	IVth Spell No. of Cont. in P.S.	IVth Spell No. of G.P.	IVth Spell No. of polling booths
1	AJMER	32	BHINAY	19	25	142	PEESANGAN	19	24	134	JAWAJA	19	46	206	ARAI	17	22	112
			KEKRI	15	22	96	AJMER RURAL	35	41	237	MASUDA	19	40	210	KISHANGARH	19	33	184
			SARWAD	15	26	108	SRINAGAR	21	25	133								
			SAWAR	15	21	80												
			4	64	94	426	3	75	90	504	2	38	86	416	2	36	55	296
2	BANSWARA	31	GADHI	25	45	164	BAGIDORA	19	32	101	SAJJANGARH	17	38	152	CHHOTI SARVAN	15	21	80
			GHATOL	27	68	243	ANADPURI	25	34	123	KUSHALGARH	17	51	160	TALWARA	17	29	110
			ARTHUNA	17	27	111	GANGARTALAI	17	30	89					BANSWARA	23	42	153
			3	69	140	518	3	61	96	313	2	34	89	312	3	55	92	343
3	BARMER	37	CHAUHATAN	27	50	179	AADEL	15	20	66	SHIV	19	38	127	GIDA	19	36	118
			DHANAU	19	30	114	PAYLAKALAN	15	20	64	BARMER	19	38	126	SAMDADI	17	26	104
			RAMSAR	17	31	112	DHORIMANNA	21	44	109	BARMER RURAL	21	37	129	PATODI	15	31	90
			GADRAROAD	17	37	117	GUDAMALANI	17	31	107	SINDHARI	17	30	98	KALYANPUR	15	29	103
			FAGLIYA	15	22	87	SEDWA	15	28	96	BAYTU	19	38	128	BALOTRA	25	38	168
															SIWANA	25	35	166
			5	95	170	609	5	83	143	442	5	95	181	608	6	116	195	749
4	BHILWARA	37	BIJOLIA	17	22	100	SHAHPURA	19	39	189	KAREDA	17	24	119	RAIPUR	15	22	108
			MANDALGARH	23	32	150	BADNOR	15	20	88	MANDAL	19	25	119	SUWANA	19	38	203
			KOTRI	19	33	174	HURDA MANDAL	19	23	117	ASIND	21	28	149	SAHARA	15	28	116
			JAHAZPUR	21	38	202	BANERA	15	26	128								
			4	80	125	626	4	68	108	522	3	57	77	387	3	49	88	427
5	BIKANER	29	NOKHA	17	43	225	KOLAYAT	21	43	166	KHAJUWALA	15	31	120	LUNKARANSAR	21	47	200
			PANCHU	15	33	199	BIKANER	21	52	258	PUGAL	15	37	134				
			SHRI DUNGARGARH	21	53	223	BAJJU KHALSA	15	28	108								
			3	53	129	647	3	57	123	532	2	30	68	254	1	21	47	200
6	BUNDI	23	TALERA	17	33	148	NAINWA	19	33	130	K.PATAN	23	46	209	HINDOLI	23	42	217
			BUNDI	15	30	142												
			2	32	63	290	1	19	33	130	1	23	46	209	1	23	42	217
7	CHITTORGARH	25	KAPASAN	15	23	100	BEGUN	15	31	118	BARISADRI	15	26	115	NIMBAHERA	17	37	164
			RASHMI	15	23	101	BHAINSRORGARH	15	27	96	BHADESAR	15	25	120	CHITTORGARH	21	40	188
			BHOPALSAGAR	15	19	91					DOONGLA	15	26	109	GANGRAR	15	22	112
			3	45	65	292	2	30	58	214	3	45	77	344	3	53	99	464
8	CHURU	27	RATANGARH	19	39	222	CHURU	19	40	208	RAJGARH	33	68	346	SARDARSHAHAR	25	63	296
			SUJANGARH	25	34	198	TARANAGAR	19	33	190								
			BEEDASAR	23	27	148												
			3	67	100	568	2	38	73	398	1	33	68	346	1	25	63	296

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

9	DUNGARPUR	27	DUNGARPUR	21	36	97	SIMALWARA	19	37	131	BICHCHHIWARA	25	42	98	SAGWARA	29	53	198
			SABLA	17	31	114	GALIAKOT	17	30	110	JHONTHARI	17	32	115				
			ASPUR	17	31	113	CHIKHLI	17	27	111								
			DOVRA	19	34	88												
			4	74	132	412	3	53	94	352	2	42	74	213	1	29	53	198
10	HANUMANGARH	29	BHADRA	27	49	252	RAWATSAR	15	36	161	SANGARIYA	15	26	136	HANUMANGARH	23	41	230
			NOHAR	27	47	264	PILIBANGA	19	40	214	TIBBI	17	30	177				
			2	54	96	516	2	34	76	375	2	32	56	313	1	23	41	230
11	JAISALEMR	17	MOHANGARH	15	19	50	SANKDA	17	29	105	FATEHGARH	15	33	82	SAM	17	44	96
			NACHANA	15	20	63	BHANIYANA	17	36	105	JAISALMER	15	25	67				
			2	30	39	113	2	34	65	210	2	30	58	149	1	17	44	96
12	JALORE	31	SAYLA	25	45	272	BAGODA	23	28	148	RANIWARA	27	32	178	SANCHORE	25	32	167
			JALORE	17	29	167	BHEENMAL	21	21	143	JASWANTPURA	19	25	142	CHITALWANA	17	37	199
			AHORE	23	41	256	SARNAU	15	17	86								
			3	65	115	695	3	59	66	377	2	46	57	320	2	42	69	366
13	JHALAWAR	27	DUG	25	32	170	BAKANI	17	25	82	AKLERA	23	31	150	JHALRAPATAN	21	30	111
			MANOHARTHANA	21	27	142	BHAWANI MANDI	21	27	132	PIDAWA	21	44	213	KHANPUR	19	38	168
			2	46	59	312	2	38	52	214	2	44	75	363	2	40	68	279
14	JHUNJHUNU	35	JHUNJHUNU	21	24	155	PILANI	19	24	138	SINGHANA	17	25	136	UDAIPURWATI	27	44	283
			MANDAWA	15	25	119	SURAJGARH	17	24	125	KHETRI	29	44	278	NAWALGARH	27	46	266
			ALSISAR	19	32	144	BUHANA	17	25	142								
							CHIRAWA	21	24	147								
			3	55	81	418	4	74	97	552	2	46	69	414	2	54	90	549
15	NAGAUR	47	KHINWASAR	31	35	184	RIYANBARI	17	20	119	MAKRANA	25	40	260	DEEDWANA	27	37	208
			MUNDWA	25	31	190	DEGANA	23	35	173	PARBATSAR	21	42	229	LADNU	19	34	212
			NAGAUR	37	40	255	MERTA	35	41	238	KUCHAMANCITY	27	33	182	MOLASAR	23	27	159
			JAYAL	33	38	228	BHAIRUNDA	19	23	140	NAWAN	21	24	137				
			4	126	144	857	4	94	119	670	4	94	139	808	3	69	98	579
16	PALI	33	RANI	15	29	149	JAITARAN	23	38	236	ROHAT	15	23	135	SUMERPUR	19	30	165
			BALI	23	47	245	SOJAT	21	38	195	PALI	15	24	117	MARWAR JUNCTION	25	48	244
			DESURI	15	24	129	RAIPUR	21	40	212								
			3	53	100	523	3	65	116	643	2	30	47	252	2	44	78	409
17	PRATAPGARH	17	PRATAPGARH	19	35	125	DALOT	15	24	79	PIPALKHUNT	15	23	85	CHOTI SADRI	15	34	132
			DHRIABAD	17	47	212	ARNOD	15	21	73	SUHAGPURA	15	21	69	DHAMOTAR	15	30	96
			2	36	82	337	2	30	45	152	2	30	44	154	2	30	64	228
18	RAJSAMAND	25	BHIM	16	34	165	KHAMNOR	19	25	131	RAJSAMAND	17	33	175	KUMBHALGARH	17	37	152
			DEOGARH	15	20	101	RAILMAGRA	17	29	134	AMET	15	20	112				
							DELVADA	15	16	88								
			2	31	54	266	3	51	70	353	2	32	53	287	1	17	37	152

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

19	SIKAR	39	KHANDELA	39	45	285	FATEHPUR	27	34	208	PIPRALI	21	26	155	SRIMADHOPUR	23	22	171
			PATAN	17	22	110	DHOD	41	57	330	DANTARAMGARH	27	30	215	LAXMANGARH	25	35	213
			NEEMKATHANA	27	33	194					PALSANA	25	29	174	NECHWA	15	18	116
											AJITGARH	23	24	156				
			3	83	100	589	2	68	91	538	4	96	109	700	3	63	75	500
20	TONK	25	TONK	19	25	119	MALPURA	23	38	196	UNIARA	17	36	162	DEOLI	21	40	186
			NIWAI	21	41	196	TODARAISINGH	15	31	130								
			PIPLU	19	25	124												
			3	59	91	439	2	38	69	326	1	17	36	162	1	21	40	186
21	UDAIPUR	43	JHADOL	21	40	138	KHERWADA	17	32	125	MAWALI	25	49	224	LASADIA	15	26	87
			PHALASIA	19	32	112	NAYAGAON	15	25	100	KURABAD	15	26	108	SALUMBER	21	34	151
			KOTDA	19	66	197	HRISHABHDEV	21	35	143	BHINDER	19	29	112	JHALLARA	15	29	105
			SAYRA	17	31	113	SARADA	15	23	94	VALLABHNAGAR	19	24	108	JAYSAMAND	15	24	98
			GOGUNDA	17	32	118					BADGAON	15	29	151	SEMARI	15	21	91
											GIRWA	29	45	191				
			5	93	201	678	4	68	115	462	6	122	202	894	5	81	134	532
	Grand Total	636	65	1310	2180	10131	59	1137	1799	8279	52	1016	1711	7905	46	908	1572	7296

No. Z.P. Consty.

636

P.S.M.Const.

Ist SPELL	1310
IInd SPELL	1137
IIIrd SPELL	1016
IV SPELL	908
Total	**4371**

Panchayat Samiti

I SPELL	65
II SPELL	59
III SPELL	52
IV SPELL	46
Total	**222**

Gram Panchayat

I SPELL	2180
II SPELL	1799
III SPELL	1711
IV SPELL	1572
Total	**7262**

Polling Booth

I SPELL	10131
II SPELL	8279
III SPELL	7905
IV SPELL	7296
Total	**33611**

उप सचिव
राजस्थान